तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./8033/2006/नागौर गोरधनराम बनाम मोडाराम	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –
श्री जी.एस.लखावत, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री ईश्वर देवड़ा, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–आदेश–

दिनांक– 09–09–2025

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर, डेगाना द्वारा मिसल संख्या 49/2001 में पारित आदेश दिनांक 27–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद बाबत् विवादित आराजी के विभाजन व घोषणा का न्यायालय सहायक कलेक्टर, डेगाना जिला नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय में विचाराधीन है एवं तनकीयात कायम की जा चुकी है। दौराने दावा प्रार्थीगण ने आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बनाई गई तनकीयात के साथ दो नई तनकीयात ओर कायम की जावे। सहायक कलेक्टर डेगाना ने उभयपक्ष को सुन अपने आदेश दिनांक 27–10–2006 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दिवानी यह अंकित करते हुये कि उक्त प्रार्थनापत्र देरी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी के गुणावगुण पर सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का सही रूप से अवलोकन न कर जो तनकीयात कायम की गई है वह सरासर अवैधानिक है जबकि वादपत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर यह अभिनिर्धारित भी किया जाना था कि वादी का सगा भाई भागूराम भी है जिसपर यह तनकी कायम होनी आवश्यक थी कि वादी का वादी गिरधारी राम भी आवश्यक पक्षकार था। इसी प्रकार जवाबदावे के पैरा संख्या– 2 में अंकित अभिवचनों के अनुसरण में भी यह तनकी बनायी जानी आवश्यक थी कि वादी ने प्रतिवादी संख्या– 1 व 5 को दबाव या लोभवश अपने पक्ष में कर लिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./8033/2006/नागौर गोरधनराम बनाम मोडाराम	नम्बर व तारीख
	है। लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के इन कथनो पर तनकी नहीं बनायी जबकि वाद पत्र के विधिसम्मत निस्तारण हेतु उपरोक्त दोनों तनकीयात कायम की जानी अपरिहार्य होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी स्वीकार करते हुए तनकीयात को संशोधन किया जाना आवश्यक था। किंतु विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के सिर्फ यह अंकित करते हुये कि प्रार्थनापत्र देरी के उद्देश्य से पेश किया गया है, खारिज कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 27–10–2006 निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण द्वारा जो संशोधित तनकीयात जुडवाना चाह रहे है वह तनकीयात प्रकरण के मूल तथ्यों से संबंधित नहीं होने के कारण एवं वादपत्र के अनुसरण में नियमानुसार तनकीयात कायम किए जा चुके होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दिवानी विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है। प्रार्थीगण के आवेदन पर नई संशोधित तनकीयात कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–10–2006 के निष्कर्ष में यह उल्लेख किया है कि– ''पत्रावली अपने अंतिम चरण मे विचाराधीन चल रही है तथा पत्रावली पर 15 दिवस में अपने–अपने गवाहों की सूची पेश करने के आदेश प्रदान किए जाने के लगभग 3 वर्ष उपरांत प्रार्थनापत्र पेश कर दो तनकीयात जोडने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र वाद को विलंबित करने की नियत से पेश किया गया है।'' इस संबंध में हमने वादपत्र, प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जावाबदावे के आधार पर कायम की गयी तनकीयात एवं प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का अवलोकन किया। आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के अनुसार मामलें के ठीक विनिश्चयन के लिए विवाद्यक आवश्यक होना चाहिए अर्थात् विवाद्यक उन्हीं बिन्दुओं पर बनाए जा सकते है जो वादपत्र के निस्तारण हेतु आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के अनुसार मामले के ठीक विनिश्चयन के लिए आवश्यक हो। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में जो विवाद्यक बनाए गए है वे मामले के ठीक विनिश्चयन के लिए पर्याप्त जाहिर होते है तथा प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./8033/2006/नागौर गोरधनराम बनाम मोडाराम	नम्बर व तारीख
	प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा पेश करने के 3 वर्ष उपरांत उक्त प्रार्थनापत्र बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह जाहिर करने में असफल रहे है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी में अंकित तनकीयात वादपत्र के निर्धारण में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को केवल मात्र देरी के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने के आधार पर विधिसम्मत तरीके से खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं होने से हस्तगत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज योग्य पायी जाती है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दड़िया)** सदस्य	